न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 169/2019

अनवान :

1. कृष्ण कुमार
2. मांगेराम

} पिसरान जयकरण जाति जाट निवासी घोटड़ा पट्टा तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. जयकरण पुत्र रतिराम जाति जाट निवासी घोटड़ा पट्टा तहसील भादरा।
2. इन्द्रा पुत्री जयकरण जाति जाट निवासी घोटड़ा पट्टा तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबंधक मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री भानुप्रताप सिंह : वादीगण

निर्णय दिनांक : 17-3-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा घोटड़ा पट्टा तहसील भादरा के खाता सं0 33/32 के खसरा सं0 60 की 1.6310 है0, 62 की 7.7900 है0, 100 की 1.0880 है0, 112 की 5.3110 है0, 126 की 8.4860 है0, 128 की 2.0230 है0, 129 की 3.7690 है0, 135 की 4.1100 है0, 136 की 1.4160 है0, 143 की 3.9330 है0, 146 की 4.9700 है0, 150 की 0.1010 है0, 152 की 0.2780 है0, 153 की 3.1490 है0, 155 की 2.4280 है0, कुल खसरा 15 की 50.4830 है0 तथा इसी प्रकार रोही मौजा किंकराली तहसील भादरा के खाता सं0 38/37 के खसरा सं0 166 की 11.2680 है0, 167 की 11.4320 हे0 कुल खसरा 2 की 22.7000 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी जयकरण का 1/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दू मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है वाद भूमि पहले वादीगण के दादा रतिराम की खातेदारी हुआ करती थी रतिराम के देहान्त होने पर उक्त वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन मिली थी परन्तु प्रतिवादी जयकरण हिन्दू कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि का विरासतन इन्तकाल अकेले अपने नाम दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।

वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के [illegible] सेटलमेंट हो गया था जिसमें प्रतिवादिया सं0 2 ने वाद भूमि में से [illegible] हक हिस्सा था उसे वादीगण एवं प्रतिवादी जयकरण [illegible] अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया है इस प्रकार वादीगण प्रतिवादी जयकरण के साथ बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण सं0

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो वाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 3 पेरोकार राज ने जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4 का वकील वादीगण ने तर्क किया।

साक्ष्य वादीगण में वादी कृष्ण कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से 5 प्रदर्शित करवाये गये। पत्रावली बहस हेतु रखी गई।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वाद कृषि भूमि दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने हस्तगत वाद ग्राम घोटड़ा पट्टा व किंकराली के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा की पुष्टि मे जो प्रदर्श 2 फोटो प्रति जमाबन्दी खतौनी ग्राम घोटड़ा पट्टा सम्वत् 2042, प्रदर्श 2 फोटो प्रति जमाबन्दी खतौनी ग्राम किंकराली सम्वत् 2041 प्रदर्शित करवाई है उनमें वाद भूमि वादी के दादा रतिराम वल्द मोतीराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 में जयकरण के वारिसान में पत्नि तखी देवी, दो पुत्र मांगेराम व कृष्ण कुमार व एक पुत्री इन्द्रा देवी होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घोटड़ा पट्टा तहसील भादरा के खाता सं0 33/32 के खसरा सं0 60 की 1.6310 है0, 62 की 7.7900 है0, 100 की 1.0880 है0, 112 की 5.3110 है0, 126 की 8.4860 है0, 128 की 2.0230 है0, 129 की 3.7690 है0, 135 की 4.1100 है0, 136 की 1.4160 है0, 143 की 3.9330 है0, 146 की 4. 9700 है0, 150 की 0.1010 है0, 152 की 0.2780 है0, 153 की 3.1490 है0, 155 की 2.4280 है0, कुल खसरा 15 की 50.4830 है0 तथा इसी प्रकार रोही मौजा किंकराली तहसील भादरा के खाता सं0 38/37 के खसरा सं0 166 की 11.2680 है0, 167 की 11.4320 हे0 कुल खसरा 2 की 22.7000 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी जयकरण का 1/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है मे तन्हा प्रतिवादी सं0 1 जयकरण के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वाद कृषि भूमि उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:22 IST
Reason: SelfAttested

मुकेश कुमार
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 169/2019

अनवान :

1. कृष्ण कुमार
2. मांगेराम

} पिसरान जयकरण जाति जाट निवासी घोटड़ा पट्टा तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. जयकरण पुत्र रतिराम जाति जाट निवासी घोटड़ा पट्टा तहसील भादरा।
2. इन्द्रो पुत्री जयकरण जाति जाट निवासी घोटड़ा पट्टा तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबंधक मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री भानुप्रताप सिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घोटड़ा पट्टा तहसील भादरा के खाता सं0 33/32 के खसरा सं0 60 की 1.6310 है0, 62 की 7.7900 है0, 100 की 1.0880 है0, 112 की 5.3110 है0, 126 की 8.4860 है0, 128 की 2.0230 है0, 129 की 3.7690 है0, 135 की 4.1100 है0, 136 की 1.4160 है0, 143 की 3.9330 है0, 146 की 4.9700 है0, 150 की 0.1010 है0, 152 की 0.2780 है0, 153 की 3.1490 है0, 155 की 2.4280 है0, कुल खसरा 15 की 50.4830 है0 तथा इसी प्रकार रोही मौजा किंकराली तहसील भादरा के खाता सं0 38/37 के खसरा सं0 166 की 11.2680 है0, 167 की 11.4320 हे0 कुल खसरा 2 की 22.7000 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी जयकरण का 1/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है मे तन्हा प्रतिवादी सं0 1 जयकरण के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वाद कृषि भूमि उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12-3-....... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:22 IST
Reason: SelfAttested

(मुकेश बारैठ)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner